उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

संख्या-क0नि0-7-440/11-2015-700(111)/13

लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-12/11-2012-312(98)/2012 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 एवं अधिसूचना संख्या- क0नि0-7-641-11-700(111)-2013, दिनांक 01 अगस्त, 2013 का अधिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनों, चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी, यथा उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1961) के अधीन गठित जिला पंचायत और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

http://shasanadesh.up.nic.in

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) के अधीन गठित स्थानीय निकाय से सम्बन्धित एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन एवं उद्योग निदेशालय द्वारा प्रशासित औद्योगिक आस्थानों की स्थावर सम्पत्ति को किसी आवंटिती के पक्ष में आवंटी को कब्जा दिये जाने विषयक प्रस्ताव की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा वास्तविक कब्जा प्रदान करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, निष्पादित हस्तांतरण पत्र/पट्टा की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 हस्तांतरण के खण्ड (क) और अनुच्छेद-35 (पट्टा) के खण्ड (क) के उपखण्ड (VI) खण्ड (ख) के उपखण्ड (II) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (II) के अधीन प्रभार्य शुल्क हस्तांतरण/पट्टा विलेख में दिये गये रकम के बराबर के प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं। पट्टा के मामलों में प्रतिफल का तात्पर्य प्रथम ग्यारह वर्ष के लिए आरक्षित भाटक और जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य से है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-क0नि0-7-440(1)/11-2015-700(111)/13 दिनांक 30 मार्च, 2015</u>

प्रतिलिपि-हिन्दी तथा अंग्रेजी की अधिसूचना की प्रति संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 30 मार्च 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दे और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद को तथा 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या-क0नि0-7-440(2)/11-2015-700(111)/13 दिनांक 30 मार्च, 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
6. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करें।
7. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
8. निदेशक, सूडा नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
10. निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
14. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
15. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
17. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Kar Evam Nibandhan Anubhag-7

The Governor is pleased to order the publication of the english translation of the Goverment notification no. K.N.-7- 440 /11-2015- 700 (111)/ 13 dated 30 March, 2015 for general information.

Notification

Order

No. K.N-7- 440 /11-2015-700 (111)/ 13

Lucknow, Dated 30 March, 2015

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no.-K.N.-VII-12/11-2012-312(98)/2012 dated October 30, 2012 and notification no.-K.N.-7-641/11-700(111)-2013 dated August 01, 2013, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the duty chargeable under clause (a) of Article 23 (Conveyance) and under sub-clause (vi) of clause (a), sub-clause (ii) of clause (b) and sub-clause (ii) of clause (c) of Article 35 (Lease) of Schedule 1-B of the said Act of 1899 on the instrument of Conveyance/Lease of immovable property belonging to all the Government Departments and the organizations working under them, whether Government or Semi-Government such as a Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modification) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikash Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966), the Uttar Pradesh State Industrial

http://shasanadesh.up.nic.in

Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956), the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Parishad constituted under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (Act no. 25 of 1964), State Urban Development Agency, (SUDA) registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) and a Zila Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961 (Act no. 43 of 1961) and a local body constituted under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) or under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and the Industrial Estate, administered by the Directorate of Industries and under control of the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh executed by themselves on sale or lease of immovable property to the allottee within a period of one year from the date of letter of offer of possession or within the date of handing over of possession, whichever is earlier, to the extent of the amount of duty chargeable on the amount that exceeds the amount of duty chargeable on the consideration as set forth in such instrument of Conveyance/Lease. In case of lease, consideration means the amount or value of the rent reserved for the first eleven years and the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease.

By order

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in